ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद संख्या – 39A / 2014–15

मो0 शमशेर –बनाम– दयानन्द चौरसिया

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
	आवेदक मो0 शमशेर, निवासी मौजा कोनरा थाना बरही, जिला हजारीबाग द्वारा आवेदन समर्पित किया है कि मौजा कोनरा थाना बरही थाना नं0 72, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 78 प्लॉट नं0 1467 रकबा 3.30 ए0 भूमि भूदान पर्चा से प्राप्त हुआ है। द्वितीय पक्ष दयानन्द चौरसिया द्वारा हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा करते हैं। आवेदक द्वारा भूमि मापी हेतु आवेदन दिया गया है परन्तु इनके आवेदक में संलग्न कागजातों की छायाप्रति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में विधिवत अभिलेख संधारित करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर मूल कागजातों एवं लिखित तहरीर की मांग की गई। प्रथम पक्ष द्वारा लिखित तहरीर दाखिल किया गया है जिसमें इन्होने उल्लेख किया है कि मो0 इदरीश पिता फौदारी मियां को भूदान पर्चा वर्ष 1958 में प्राप्त हुआ जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, बरही द्वारा उनके नाम से पंजी–II जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद जमा करने का आदेश दिया और आवेदक वर्ष 2014–15 तक लगान देते रहे तथा उक्त बन्दोबस्त भूमि पर दखलकार रहे। विपक्षी के पिता रामचन्द्र चौरसिया जाली हुकुमनामा प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहे है। रामचन्द्र चौरसिया बरही के बाहर के निवासी है और वर्ष 1943 में नाबलिग उम्र लगभग 7–8 वर्ष के उम्र में अपनी पत्नी के नाम से हुकुमनामा प्राप्त किये हैं। वर्ष 1943 में जब रामचन्द्र चौरसिया नाबलिग थे तो उनकी पत्नी के नाम से हुकुमनामा प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दयानन्द चौरसिया एक धनी व्यक्ति है तथा प्रश्नगत भूमि की मापी में हमेशा बाधा उत्पन्न करते है, जबकि आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, बरही के कार्यालय में मापी हेतु कई बार शुल्क जमा कर चुकें हैं। विपक्षी मापी रोकने हेतु संबंधित न्यायालय को आवेदन दे चुके हैं। इसलिए आवेदक न्याय हेतु आपके न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विपक्षी कभी भी प्रश्नगत भूमि पर दखल में नहीं रहे। इसलिए निवेदन है कि दोनों पक्षों के कागजात देखने तथा सुनवाई के पश्चात आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी, बरही को प्रश्नगत भूमि का मापी करने का आदेश देने की कृपा की जाय। विपक्षी पक्ष द्वारा लिखित तहरीर दाखिल किया गया है, जिसमें इन्होने उल्लेखित किया है कि वर्तमान वाद की शुरूआत आवेदक के आवेदन के आलोक में की गई है, जिसमें उन्होनें मौजा कोनरा, खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467 रकबा 3.30 ए0 भूमि की मापी कराने का अनुरोध किया है। आवेदक को विपक्षी के भूमि का मापी कराने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उनका प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी, बरही के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा समर्पित कागजात वैध नहीं है। आवेदक इदरीश मियां पिता फौदारी मियां के पुत्र है। इदरीश मियां पिता फौदारी मियां उक्त बन्दोबस्तधारी द्वारा कोई आवेदन या वाद किसी भी न्यायालय का अंचल अधिकारी, बरही के यहाँ कभी भी दाखिल नहीं किये। आवेदक द्वारा दाखिल कागजात गलत, जाली तथा बना बनाया है तथा आवेदक या इदरीश मियां के पास कोई वैध कागजात नहीं है। प्रश्नगत भूमि सर्वे के समय से गै0 खास खाते की भूमि तथा पूर्व जमींदार द्वारा ग्राम कोनरा के विभिन्न व्यक्तियों तथा विपक्षी के पिता एवं माता से	

सलामी लेकर उनको बन्दोबस्त किया है। छेदी बरई आवेदक के दादा थे तथा वे पूर्व जमींदार को प्रतिदिन पान दिया करते थे तथा सलामी देकर अपने पुत्र रामचन्द्र चौरसिया तथा बहु श्याम सुन्दर देवी के नाम से प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती कार्रवाई तब से उक्त भूमि पर इनका दखल कब्जा है तथा वे तब से लगान पहले पूर्व जमींदार को तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात लगातार सरकार को लगान देते आ रहें हैं। विपक्षी के भाई दिनेश चौरसिया तथा महेश चौरसिया एवं अन्य ग्रामवासी द्वारा निबंधित दान पत्र माननीय राज्यपाल बिहार को रकबा 1.60 ए0 भूमि जो खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467, मौजा कोनरा से संबंधित है उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को कमीशनर की अनुमति से वर्ष 1987 में लिखा गया है, जिसका दान पत्र सं0 9350 है, जो विपक्षी के दखल कब्जे को प्रमाणित करता है। पूर्व में आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि की मापी के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में मापी कर नक्शा तैयार किया गया था। यहां यह कहना महत्पूर्ण है कि मापी संबंधी जांच के न तो ओवदक का और न ही उनके दादा का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाया गया जो अचंल अधिकारी, बरही के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। इस प्रकार इदरीश मियां के नाम से खुले डिमान्ड या जमाबंदी को संदेहात्मक दर्शाता है तथा वाद सं0 6/2000–01 जिसपर आवेदक का जमाबंदी आधारित है अंचल कार्यालय बरही में नहीं पाया गया है यह सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा अचंल अधिकारी, बरही द्वारा दिया है। इस प्रकार न तो आवेदक और न ही उनके दादा इदरीश मियां का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा था तथा गलत फर्जी तथा बनावटी कागजात के आधार पर विपक्षी की भूमि हडपना चाहते हैं। यहां यह भी कहना है कि पूर्व जमींदार द्वारा कभी भी प्रश्नगत खाता की भूमि को भूदान यज्ञ कमिटि को नहीं दिया तथा भूदान यज्ञ कमिटि का प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार नहीं था इस प्रकार उनके द्वारा बन्दोबस्ती करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इस वाद को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, बरही के पत्रांक 488 दिनांक 01.09.2015 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें अंचलाधिकारी, बरही द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कोनरा के खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। ग्राम कोनरा का सर्वे खतियान हल्का एवं जिला अभिलेखागार में भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्लॉट सं0 1467 का कुल रकबा का पता नहीं चल सकता है। वर्तमान पंजी–II में खाता सं0 78 प्लॉट 1467 से संबंधित निम्नलिखित लोगों की जमाबंदी कायम हैः–

1. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 157/11 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 3.30 ए0 भूमि की जमाबंदी मो0 इदरीश पिता फौदारी मियां के नाम से कायम है। उक्त जमाबंदी भूदान लगान निर्धारण वाद सं0 06/2000–2001/08/2000–01 अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के आदेश से कायम है। प्लॉट सं0 1467 परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में अंकित है। लगान रसीद वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक निर्गत है।
2. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 200/IB पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 3.50 ए0 भूमि की जमाबंदी रामचन्द्र चौरसिया पिता छेदी चौरसिया के नाम से कायम होकर लगान रसीद वर्ष 1990–91 से 2014–15 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पुरानी पंजी के पेज नं0 260/I से आया अंकित है। पुरानी पंजी–II का पेज सं0 260/I का

पन्ना फटा हुआ है।

3. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 2/6 पर खाता सं0 78, कुल रकबा 3.50 ए0 भूमि की जमाबंदी श्याम सुन्दर देवी पति रामचन्द्र चौरसिया के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 1985–86 से 2014–15 तक निर्गत है। उक्त जमाबंदी भोलूम–1 के पृष्ट सं0 1 से आया अंकित है। भोलूम 1 के पृष्ट संख्या 1 का पन्ना फटा हुआ है। वर्तमान में उक्त जमाबंदी का रकबा घटकर 1.90 ए0 बचता है।
4. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 18/8 पर खाता सं0 78 कुल रकबा 2.19 ए0 भूमि की जमाबंदी बरही महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु महामहिम राज्यपाल बिहार प्रदेश को दान से प्राप्त के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 1992 –93 से 2006–07 तक निर्गत है। परिवर्तन प्राधिकार के कॉलम में अंचल अधिकारी, बरही के दाखिल खारिज वाद सं0 195/87–88 दिनांक 20.08.1987 द्वारा कायम है, जो अंकित है।
5. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 72/2 पर खाता सं0 78, कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी बासुदेव प्रसाद (रॉनियार) पिता रघुनन्दन साहु के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 910/66 के द्वारा कायम होकर लगान रसीद वर्ष 1969–70 से 2007–08 तक निर्गत है। उक्त जमाबंदी से 0.58 ए0 रकबा घटकर वर्तमान में 3.62 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है।
6. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 73/2 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी श्रीमती कुमारी देवी पति रघुनन्दन साहु के नाम से दाखिल खारिज केश नं0 909/66 के द्वारा कायम है। उक्त जमाबंदी से रकबा घटकर वर्तमान में 3.10 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम होकर रसीद वर्ष 1969–70 से 2007–08 तक निर्गत है।
7. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 52/6 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 0.60 ए0 भूमि की जमाबंदी कारू प्रसाद केशरी पिता गाजो प्रसाद केशरी के नाम से दाखिल खारिज केश नं0 360/91–92 के द्वारा कायम होकर रसीद वर्ष 1991–92 से 2011–12 तक निर्गत है।
8. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 217/1 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.22 ए0 भूमि की जमाबंदी शिवनारायण साहु पिता देवनाथ साहु के नाम से कायम है। उक्त जमाबंदी से रकबा घटकर वर्तमान में 4.00 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम होकर रसीद वर्ष 1961–62 से 2010–11 तक निर्गत है।
9. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 207/1 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 5.63 ए0 भूमि की जमाबंदी शिवनारायण साहु पिता देवनाथ साहु के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 1961–62 से 2010–11 तक निर्गत है।
10. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 37/5 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 0.58 ए0 भूमि की जमाबंदी शिवनारायण साव पिता देवनारायण साव के नाम से दाखिल खारिज केश नं0 3/72–73 दिनांक 01.03.1973 द्वारा कायम होकर रसीद वर्ष 1972–73 से 2009–10 तक निर्गत है।
11. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 29/16 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी राम यश प्रसाद पिता सहदेव प्रसाद के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 2008–09 से 2009–10 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पंजी–II के पेज सं0 74/2 से आया अंकित है।
12. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 29/6 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 8.61 ए0 भूमि की जमाबंदी इन्दो देवी पति भूनेश्वर ठाकुर के नाम से

कायम है। उक्त जमाबंदी में रकबा घटकर 8.39 ए0 भूमि रसीद वर्ष 1975—76 से 2009—10 तक निर्गत है। उक्त जमाबंदी पुरानी पंजी—II के पेज नं0 4/1 से आया अंकित है।

13. वर्तमान पंजी—II के पेज नं0 117/16 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 10.37 ए0 भूमि की जमाबंदी महादेव ठाकुर पिता भुनेश्वर ठाकुर के नाम कायम होकर रसीद वर्ष 1992—93 से 2010—11 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पेज सं0 259/1 से आया अंकित है।

14. वर्तमान पंजी—II के पेज नं0 165/12 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी छोटन मियां पिता तुराब मियां के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 2000—01 से 2006—07 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में लगान निर्धारण वाद सं0 06/99—2000/07/2000—01 अंकित है एवं उक्त जमाबंदी के उपर संदेहात्मक अंकित है।

15. वर्तमान पंजी—II के पेज नं0 183/1 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 2.10 ए0 भूमि की जमाबंदी गिरजा राम पिता बाढो राम के नाम से विविध वाद सं0 02/96—97/58/98—99 अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश से दिनांक 12.01.1999 द्वारा कायम होकर रसीद वर्ष 2011—12 तक निर्गत है।

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा किये गये स्थानीय जांच प्रतिवेदनानुसार खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467, रकबा 7.00 ए0 भूमि जिसमें 3.50 ए0 भूमि पर दयानन्द चौरसिया पिता स्व0 रामचन्द्र चौरसिया एवं रकबा 1.90 ए0 भूमि पर श्याम सुन्दर देवी पति स्व0 रामचन्द्र चौरसिया दखलकार है, जिसका लगान रसीद वर्ष 1953—54 से वर्ष 2014—15 तक अद्यतन है। अंचल अधिकारी, बरही के अमीन प्रतिनियुक्ति वाद सं0 37/10—11 में अचंल अमीन द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि प्लॉट सं0 1467 का नक्शा एवं खतियानी रकबा 30.30 ए0 है जबकि रैयतों द्वारा का कुल रकबा 40.00 ए0 का कागजात दिया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी, बरही के जांच प्रतिवेदन, दोनों पक्षों का लिखित जवाब एवं दोनों पक्षों का विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि मौजा कोनरा खाता सं0 78, थाना नं0 72, प्लॉट सं0 1467 रकबा 3.30 ए0 भूमि की जमाबंदी जहां प्रथम पक्ष को भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के भूदान लगान निर्धारण वाद सं0 6/2000—01/08/2000—01 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में की गयी है। अनुमण्डल कार्यालय बरही में संधारित भूदान लगान निर्धारण पंजी के पृष्ट सं0 11 पर भूदान लगान निर्धारण वाद सं0 6/2000—01/08/2000—01 मो0 इदरीश पिता फौदारी मियां ग्राम कोनरा के नाम से दर्ज है तथा स्वीकृति के पश्चात कार्यालय पत्रांक 100/रा0, दिनांक 20.06.2000 द्वारा अभिलेख अंचल अधिकारी, बरही को भेजा गया है, जिसके पश्चात अंचल अधिकारी, बरही द्वारा इदरीश मियां के नाम से जमाबंदी कायम करते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कायम जमाबंदी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के आलोक में कायम की गयी है, जिसे संदेहात्मक नहीं माना जा सकता है। अतएव आवेदक के दादा इदरीश मियां पिता फौदारी मियां के नाम से कायम जमाबंदी नियमितिकरण श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ विपक्षी दयानन्द चौरसिया के पिता रामचन्द्र चौरसिया का प्रश्नगत खाता

संo 78, प्लॉट संo 1467, रकबा 3.50 एo भूमि की जमाबंदी वर्तमान पंजी–II के पेज नंo 200/13 पर कायम है। रसीद वर्ष 1990–91 से 2014–15 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पुरानी पंजी के पेज नंo 260/। से आया अंकित है। पुरानी पंजी–II के पेज नंo 260/ । का पन्ना फटा हुआ है। विपक्षी द्वारा जमाबंदी कायम होने का आधार पूर्व जमींदार राजा सुरेन्द्रनाथ कर्णदेव द्वारा वर्ष 1943 में विपक्षी के पिता रामचन्द्र चौरसिया एवं माता श्याम सुन्दर देवी को प्रश्नगत भूमि पर अलग अलग रकबा 3.50 एo एवं 3.50 एo भूमि का हुकुमनामा द्वारा कायम किया गया बताया गया है लेकिन विपक्षी द्वारा न तो हुकुमनामा से संबंधित कोई कागजात एवं न ही पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल किये गये रिटर्न की कोई प्रति न्यायालय में दाखिल किया गया है साथ ही अंचलाधिकारी, बरही द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रामचन्द्र चौरसिया के नाम से वर्तमान पंजी–II के पेज नंo 200/IB पर कायम जमाबंदी पुरानी पंजी के पेज नंo 261/। से आया है। पुरानी पंजी–II के पेज नंo 261/। का पन्ना फटा हुआ है तथा विपक्षी के माता श्याम सुन्दर देवी के नाम से वर्तमान पंजी–II के पेज नंo 2/6 पर कायम जमाबंदी भोलूम–I के पृष्ट संo 01 का पन्ना फटा हुआ है। अंचल अधिकारी, बरही द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जामबंदी कायम होने का आधार क्या है दोनों स्थितियों में पुरानी पंजी–II का पन्ना फटा हुआ है, जो संदेह उत्पन्न करता है साथ ही विपक्षी द्वारा जमाबंदी कायम होने से संबंधित कोई कागजात न्यायालय को न दिखाना तथा माता पिता दोनों को बचपन में ही जमींदारी हुकुमनामा एक ही दिन प्राप्त होना संदेह उत्पन्न करता है जो आवेदक द्वारा विपक्षी के जमाबंदी के अवैध होने की बात को सबल बनाता है। इस प्रकार विपक्षी के माता पिता के नाम से कायम जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है तथा आवेदक के दादा इदरीश मियां पिता फौदारी मियां के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम की गयी है। परन्तु इसके बावजूद लंबे समय से चले आ रहे जमांबदी को रद्द करने की अधिकारिता अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को नहीं है। साथ ही प्रश्नगत भूमि पर अंचल अमीन द्वारा मापी के दौरान पाया गया कि प्लॉट संo 1467 का नक्शा एवं खतियानी रकबा 30.30 एo है जबकि रैयतों के पास रकबा 40.00 एo भूमि का कागजात जमा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि रकबा से अधिक भूमि की जमाबंदी कायम की गयी है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अचंल अधिकारी, बरही को आदेश दिया जाता है कि मौजा कोनरा खाता संo 78, प्लॉट संo 1467 से संबंधित कायम सभी जमाबंदियों के रैयतों से कागजात की मांग कर जांचोपरान्त जमाबंदियों के संबंध में जमाबंदी रद्दीकरण/नियमितिकरण संबंधी अभिलेख खोलकर नियमानुकूल प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरही को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.08.28 17:23:05 +05:30
Location: 192.168.1.41

21/10/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

04/10/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग